JPR 5-576

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(वाणिज्य शाखा)

क्रमांक / जडि / मुअ(वा) / सी– I / एफ4(392) / प्रे. 2192 दि. 8.10.09

–: आदेश :–

विषय :– कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" में पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक जेपीआर 5–550 दिनांक 8.6.09, क्रमांक जेपीआर 5–562 दिनांक 30.07.2009 एवं क्रमांक जेपीआर 5–568 दिनांक 17.09.2009 में आंशिक संशोधन

निगम के आदेश क्रमाक 1279 दिनांक 8.6.09(जेपीआर5–550) द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा देने के उद्देश्य से, "स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना" लागू की थी। तत्पचात आदेश क्रमांक 1675 दिनांक 30.07.2009 (जेपीआर 5–562) एवं क्रमांक 2065 दिनांक 17.09.2009 (जेपीआर 5–568) द्वारा उक्त आदेश (जेपीआर 5–550) मे आंशिक संशोधन किये गये थे। यह योजना वर्तमान में सभी कृषि उपभोक्ताओं के लिये 31 अक्टूबर, 2009 तक लागू है ।

इस विषय में यह पाया गया कि इस योजना की अवधि में ही, निगम के चेकिंग अधिकारियों द्वारा विद्युत लोड की चैकिंग की जाकर विद्युत लोड में अनाधिकृत वृद्वि **(Unathorised increase in sanctioned connected load)** का मामला बनाकर पैनेल्टी राशि वसूल की जा रही है। इस मामले पर "वितरण समन्वय (DCF) मंच" में विचार विमर्श किया गया एवं "अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक", वितरण निगम के निर्देशानुसार आदेश क्रमांक (जेपीआर 5–562) के बिन्दु संख्या–(i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित **(substitute)** किया जाता है:–

(i) वर्तमान में स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना को उन कृषि उपभोक्ताओं को प्रदान करनी है जिनके कनेक्शनों को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है, उनसे यदि विद्युत लोड की चैकिंग के दौरान भी लोड बढा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनेल्टी राशि नही ली जाकर मात्र धरोहर राशि जमा करवाकर लोड नियमित किया जावे।

यह संशोधन पूर्व में जारी आदेशों में आशिंक संशोधन कर जारी किये जा रहे है। योजना पूर्व निर्धारित अवधि अर्थात् 31 अक्टूबर, 2009 तक लागू रहेगी।

आज्ञा से,
8.10.09
(एन.एम.सरीन)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

Superintending Engineer (IT & CRP)
No. 2747 Date 13.10.09
XEN(IT)/CRP-I/CRP-II/Acctt/Estt/PA

S.E. (IT & CRP)